



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०-403/2008 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय स्पे० गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अतीक पुत्र बाबू मंसूरी निवासी मुहल्ला भटीपुरा थाना कोतवाली जनपद महोबा को दोष सिद्ध करते हुए 02 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री सुशील
कुमार त्रिपाठी



विवेचक-
एस०एच०ओ०
विवेकानन्द तिवारी



पैरोकार- थाना मुस्कुरा
का० प्रदीप भार्गव